

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
पी.एम.जी.एस.वाई.,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
2. प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।
3. मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि.,
देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी/
अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
4. मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग, लो.नि.वि.
उत्तराखण्ड।
5. मुख्य अभियन्ता,
पी.एम.जी.एस.वाई.
उत्तराखण्ड।
6. मुख्य अभियन्ता/परियोजना निदेशक,
ए.डी.बी., लो.नि.वि.,
उत्तराखण्ड।
7. मुख्य अभियन्ता,
विश्व बैंक, लो.नि.वि.,
उत्तराखण्ड।

लोक निर्माण विभाग

देहरादून: दिनांक : मई 26 : 2014

विषय :- राज्य अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वर्तमान में प्रदेश के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण/पुनर्निर्माण/मरम्मत हेतु लोक निर्माण विभाग के विभागीय बजट के अतिरिक्त पी.एम.जी.एस.वाई. एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सहित ए.डी.बी. वित्त पोषित तथा विश्व बैंक वित्त पोषित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनेक कार्य स्वीकृत हैं और निर्माणाधीन कार्यों में मानक अनुसार सर्वोच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।

2. यद्यपि, उक्त संदर्भित विभिन्न निर्माण कार्यों/कार्यक्रमों के सापेक्ष पी.एम.जी.एस.वाई. एवं ए.डी.बी. वित्त पोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत नेशनल क्वालिटी मानीटर (एन.क्यू.एम.)/स्टेट क्वालिटी मानीटर (एस.क्यू.एम) रखे जाने का प्राविधान है, किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में एस.क्यू.एम. उपलब्ध नहीं हैं। एन.क्यू.एम./एस.क्यू.एम. के द्वारा किए गए निरीक्षणों एवं परिणामों की समीक्षा करने पर यह भी पाया गया है कि प्रचलित व्यवस्था पर्याप्त प्रभावी नहीं रही है और प्रचलित कार्यों की गुणवत्ता को लेकर विभिन्न प्रकार की शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं जिनका शीघ्र निराकरण करना अत्यन्त आवश्यक है।

3. उपरोक्त परिस्थितियों में, शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मोटर मार्ग/सेतु निर्माण के कार्यों में सर्वोच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रचलित कार्यों की प्रभावी जांच, कार्य का मौके पर प्रभावी पर्यवेक्षण तथा शिथिलता बरतने वाले कार्मिक/ठेकेदारों के उत्तरदायित्व निर्धारण की व्यवस्था को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी किया जाय। इस दृष्टि से निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी :-

- (i) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के अधीन गठित क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ द्वारा लोक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई., ए.डी.बी. एवं विश्व बैंक पोषित सभी कार्यों के गुणवत्ता की जांच हेतु एक नोडल इकाई के रूप में कार्य किया जायेगा।

- (ii) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी/अल्मोड़ा, मुख्य अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई, मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य अभियन्ता, ए.डी.बी. तथा मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक के नेतृत्व में संलग्नक-1 में यथांकित जनपदवार जांच दल गठित किए जाते हैं। इन जांच दलों/जांच दल प्रभारी को क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ द्वारा प्रत्येक सप्ताह प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के अनुमोदन से 02 कार्य रैंडम आधार पर जांच हेतु आबंटित किए जायेंगे। मुख्य अभियन्ता जांच दल प्रभारी द्वारा उनके अधीन गठित जांच दलों में से ऐसे जांच दल, जिसके सदस्यों का जांच हेतु आबंटित कार्य से सम्बन्ध नहीं है, की सहायता से तथा संलग्नक-2 में निहित दिशा-निर्देशों/जांच बिन्दुओं के आलोक में जांच सम्पन्न कर एक सप्ताह के अन्दर अपनी आख्या क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराई जायेगी।
- (iii) जांच दल द्वारा आबंटित कार्य की जांच के दौरान कार्य से सम्बन्धित विभाग/खण्ड द्वारा जांच दल को अपेक्षित सहयोग सुलभ कराया जायेगा और जांच दल द्वारा गुणवत्ता के सम्बन्ध में दिए गए मौखिक/लिखित निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ में प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाली जांच आख्याओं का प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षण करते हुए जिन मामलों में कमियाँ पायी जाँय, उनसे सम्बन्धित आख्या शासन स्तर पर सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अग्रसारित की जायेगी। तदक्रम में, शासन स्तर पर सम्बन्धित विभाग द्वारा जांच आख्या का विश्लेषण करते हुए उत्तरदायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में यथाशीघ्र सम्यक निर्णय लिए जायेंगे।
- (v) कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कार्यों का निरीक्षण/क्षेत्र भ्रमण/रात्रि विश्राम के संदर्भ में पूर्व निर्धारित मानकों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा विभागाध्यक्ष द्वारा पूर्व निर्धारित अथवा इन निर्देशों के क्रम में निर्धारित किए जाने वाले प्रारूप में दैनिक एवं साप्ताहिक सूचना विभागाध्यक्ष को भेजी जायेगी। विभागाध्यक्ष के स्तर पर ऐसी सूचनाओं का विश्लेषण करते हुए अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अधीनस्थों से अनुपालन करायें। यहाँ यह भी सूचित करना असंगत न होगा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता बरतने का तथ्य संज्ञान में आने पर उसे गंभीरतापूर्वक लिया जायेगा तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कठोर दण्डनीय कार्रवाई करने के साथ-साथ वार्षिक मूल्यांकन के अवसर पर भी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु किए गए प्रयासों का समुचित संज्ञान लिया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त,

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या : 3242 / 111(2)/लो.नि.वि./तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, ग्राम्य विकास/लो.नि.वि./सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हयोंकी)
अपर सचिव, लो.नि.वि.।

उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण कार्यों में मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित जांच दलों का विवरण।

क्र० म०	जनपद का नाम	छल संख्या	जांच दल के सदस्यों का विवरण
1	देहरादून	1	- मुख्य अभियन्ता, देहरादून क्षेत्र, लो०नि०वि०, देहरादून ✓ - अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून - अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून
		2	- मुख्य अभियन्ता, देहरादून क्षेत्र, लो०नि०वि०, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून - अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून
		3	- मुख्य अभियन्ता, देहरादून क्षेत्र, लो०नि०वि०, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून - अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता
		4	- मुख्य अभियन्ता, देहरादून क्षेत्र, लो०नि०वि०, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून - अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश
		5	- मुख्य अभियन्ता, देहरादून क्षेत्र, लो०नि०वि०, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून - अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया
		6	- मुख्य अभियन्ता, ए०डी०बी०, लो०नि०वि०, देहरादून ✓ - अधीक्षण अभियन्ता, ए०डी०बी० वृत्त, लो०नि०वि०, टिहरी - अधिशाली अभियन्ता, ए०डी०बी० खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून
		7	- मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, लो०नि०वि०, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई वृत्त, लो०नि०वि०, मसूरी - अधिशाली अभियन्ता, पीएमजीएसवाई खण्ड (निर्माण खण्ड), लो०नि०वि०, कालसी
		8	- मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, लो०नि०वि०, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई वृत्त, लो०नि०वि०, मसूरी - अधिशाली अभियन्ता, पीएमजीएसवाई खण्ड (सिंचाई खण्ड), लो०नि०वि०, देहरादून
		9	- मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, देहरादून - डायरेक्टर, क्वालिटी प्रमोसन एवं डिजायन, लो०नि०वि०, देहरादून - अधिशाली अभियन्ता, क्वालिटी कन्ट्रोल, लो०नि०वि०, देहरादून
		10	- मुख्य अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक, लो०नि०वि०, देहरादून ✓ - अधीक्षण अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक वृत्त, लो०नि०वि०, टिहरी - अधिशाली अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता
2	हरिद्वार	11	- मुख्य अभियन्ता, देहरादून क्षेत्र, लो०नि०वि०, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, हरिद्वार वृत्त, लो०नि०वि०, हरिद्वार - अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार
		12	- मुख्य अभियन्ता, देहरादून क्षेत्र, लो०नि०वि०, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, हरिद्वार वृत्त, लो०नि०वि०, हरिद्वार - अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की
		13	- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग, लो०नि०वि०, देहरादून ✓ - अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीयमार्ग वृत्त (10 वां वृत्त), लो०नि०वि०, देहरादून - अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की
3	उत्तरकाशी	14	- मुख्य अभियन्ता, देहरादून क्षेत्र, लो०नि०वि०, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम् वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी - अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी

			अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरो
		31	- मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौडी - अधीक्षण अभियन्ता, द्वादश वृत्त, लो0नि0वि0, पौडी - अधिकासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, पावौ
		32	- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग, लो0नि0वि0, पौडी - अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग वृत्त(10वां वृत्त), लो0नि0वि0, देहरादून - अधिकासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, धुमाकोट
		33	- मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, लो0नि0वि0, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, वृत्त, लो0नि0वि0, श्रीनगर - अधिकासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई खण्ड (सिंचाई खण्ड), लो0नि0वि0, श्रीनगर
		34	- मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, लो0नि0वि0, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई वृत्त, लो0नि0वि0, श्रीनगर - अधिकासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई खण्ड (सिंचाई खण्ड), लो0नि0वि0, कोटद्वार
		35	- मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, लो0नि0वि0, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई वृत्त, लो0नि0वि0, श्रीनगर - अधिकासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई खण्ड (सिंचाई खण्ड), लो0नि0वि0, बैजरो
		36	- मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, लो0नि0वि0, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई वृत्त, लो0नि0वि0, श्रीनगर - अधिकासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई खण्ड, लो0नि0वि0, कोटद्वार (मुख्यालय-सतपुली)
		37	- मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी - अधिकासी अभियन्ता, ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0, पौडी
		38	- मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 (यूई0ए0पी/आपदा) वृत्त, लो0नि0वि0, श्रीनगर - अधिकासी अभियन्ता, ए0डी0बी0, आपादा खण्ड, लो0नि0वि0, पौडी
		39	- मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी - अधिकासी अभियन्ता, ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा
		40	- मुख्य अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक, लो0नि0वि0, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक वृत्त, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग - अधिकासी अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, पौडी
5	टिहरी	41	- मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौडी - अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम् वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी - अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी
		42	- मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौडी - अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम् वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी - अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर
		43	- मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौडी - अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम् वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी - अधिकासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, घनसाली
		44	- मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौडी - अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम् वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी - अधिकासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा
		45	- मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौडी - अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम् वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी - अधिकासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, कीर्तिनगर

		109	- मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई , लो0नि0वि0, अल्मोड़ा - अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा - अधिशाली अभियन्ता, पीएमजीएसवाई खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम
		110	- मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 (यू0ई0ए0पी/आपदा) वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा - अधिशाली अभियन्ता, ए0डी0बी0, आपदा खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल
		111	- मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ - अधिशाली अभियन्ता, ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल
		112	- मुख्य अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक, लो0नि0वि0, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ - अधिशाली अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल
12	उधम सिंह नगर	113	- मुख्य अभियन्ता, कुमाऊं क्षेत्र, लो0नि0वि0, हल्द्वानी ✓ - अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0, उधम सिंह नगर - अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर
		114	- मुख्य अभियन्ता, कुमाऊं क्षेत्र, लो0नि0वि0, हल्द्वानी - अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0, उधम सिंह नगर - अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खटीमा
		115	- मुख्य अभियन्ता, कुमाऊं क्षेत्र, लो0नि0वि0, हल्द्वानी - अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0, उधम सिंह नगर - अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, काशीपुर
		116	- मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ - अधिशाली अभियन्ता, ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर
13	चम्पावत	117	- मुख्य अभियन्ता, कुमाऊं क्षेत्र, लो0नि0वि0, हल्द्वानी - अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, चम्पावत - अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत
		118	- मुख्य अभियन्ता, कुमाऊं क्षेत्र, लो0नि0वि0, हल्द्वानी - अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, चम्पावत - अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहघाट
		119	- मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा - अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई वृत्त, लो0नि0वि0, जौलीकोट - अधिशाली अभियन्ता, पीएमजीएसवाई (सिंचाई खण्ड), लो0नि0वि0, चम्पावत
		120	- मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई , लो0नि0वि0, अल्मोड़ा - अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ - अधिशाली अभियन्ता, पीएमजीएसवाई (सिंचाई खण्ड), लो0नि0वि0, लोहघाट
		121	- मुख्य अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक, लो0नि0वि0, देहरादून - अधीक्षण अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ - अधिशाली अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत